प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 403/1995

अपीलार्थी: रोहित कुमार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 21.2.2011 को सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 403/1995

अपीलार्थी: रोहित कुमार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन.के. शुक्ला एवं श्री सुधीर वर्मा अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री विवेक शर्मा,पैनल अधिवक्ता।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत दाण्डिक अपील

निर्णय

(दिनांक 23.02.2011)

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्ग, श्रंखला न्यायलय बेमेतरा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 87/1994 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24.02.1995 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश दिया गया है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 07.10.1993 को लगभग शाम 7:30 बजे, अभियोक्त्री— जो लगभग 28 वर्ष की एक विवाहित महिला है — द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उस दिन लगभग दोपहर 3 बजे वह मनसाराम के खेत में जा रही थी और जब वह चुन्नीलाल के खेत के पास पहुँची, तो अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया, खेत में पटक दिया और उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग स्थापित किया। विवेचना के पश्चात, दिनांक 15.10.1993 को धारा 376 भा.दं.सं. के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 09 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी अभिलिखित किया गया था, जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने भी अपने मामले के समर्थन में चार

व्यक्तियों, यथा बसंती बाई (ब.सा-1), संतराम यादव (ब.सा-2), घासीराम (ब.सा-3) और रमेश कुमार कोठारी (ब.सा.-4) का परीक्षण कराया है।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध और दण्डित किया है।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह मामला झूठा फँसाने का प्रतीत होता है, जहाँ किसी पुराने विवाद के कारण अभियुक्त/अपीलार्थी को फँसाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोक्त्री (अ.सा-1) के बयानों में तात्विक अंतर्विरोध और विलोपन हैं, इसलिए अभियुक्त/अपीलार्थी दोषमुक्ति का हकदार है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के अनुसार, अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत कहानी अत्यधिक असंभव लगती है और उसके बयान की पुष्टि उसके पति अश्वनी कुमार (अ.सा-3) और मनसाराम (अ.सा.-4) द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोक्त्री के साथ अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा खेत में कथित तौर पर बलात्कार किया गया था,लेकिन अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं आई थी, जो अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को पूरी तरह से अविश्वसनीय बनाता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोक्त्री की मेडिकल प्रतिवेदन भी यह स्पष्ट नहीं करती कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। उनके अनुसार, यद्यपि अभियुक्त/अपीलार्थी का चिकित्सकीय परीक्षण 8.10.1993 को शाम 4.45 बजे (अर्थात घटना के 25 घंटे बाद) किया गया था, फिर भी उसकी चिकित्सीय प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 के अनुसार उसके 'ग्लैंड पेनिस' पर 'स्मेग्मा' मौजूद था, और इस आधार पर भी अपीलार्थी दोषमुक्ति का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और यह तर्क दिया है कि साक्षियों के कथनों में मामूली अंतर्विरोध और विलोपन होना स्वाभाविक है क्योंकि वे ग्रामीण निवासी हैं, और जब साक्ष्य का मुख्य भाग स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध गठित करता है, तो ऐसे अंतर्विरोधों को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह तर्क दिया कि अभियोक्त्री और उसके पति का आचरण पूरी तरह से स्वाभाविक प्रतीत होता है जहाँ उनके द्वारा संपूर्ण घटना का वर्णन स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूँकि अभियुक्त/अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ घनी उगी हुई घास वाली मेढ़ पर बलात्कार किया था, अतः उसके शरीर पर चोट आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अंत में उन्होंने तर्क दिया कि एफ.एस.एल. प्रतिवेदन प्रदर्श पी-10 के अनुसार, अभियोक्त्री की योनि स्लाइडों और पेटीकोट में शुक्राणुओं की उपस्थिति की पुष्टि हुई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूँकि अभियुक्त/अपीलार्थी का चिकित्सकीय परीक्षण घटना के 24 घंटे बाद किया गया था, इसलिए 'ग्लैंड पेनिस' पर 'स्मेग्मा' की उपस्थिति अपना महत्व खो देती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के दिन लगभग दोपहर 1 बजे अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद, जब वह अपने पति के लिए भोजन लेकर मनसाराम (अ.सा.-4) के खेत में वापस जा रही थी और जैसे ही वह चुन्नीलाल के खेत के पास पहुँची, अभियुक्त/अपीलार्थी जो पहले से ही वहाँ बैठा था, उसने उसे पीछे से पकड़ लिया जिसके परिणामस्वरूप उसके द्वारा ले जाया जा रहा भोजन नीचे गिर गया। जब इस साक्षी ने अभियुक्त/अपीलार्थी से कहा कि यदि पास में काम कर रहे लोगों ने देख लिया तो क्या

होगा, तो उसने कहा कि जो भी हो, वे अधिक से अधिक उसे मार डालेंगे। इसके पश्चात, इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग स्थापित किया। उसने कहा है कि यद्यपि उसने अपने पैर चलाकर अभियुक्त/अपीलार्थी के कृत्य का विरोध किया था, लेकिन अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे दबोच लिया। इसके बाद वह रोते हुए मनसाराम के खेत में गई और रामकली, सती बाई और बृजबाई को घटना की जानकारी दी। उसने अपने पति को भी घटना के बारे में बताया जब वह पास के बोरवेल से हाथ-मुँह धोकर वापस आया। तत्पश्चात, वह और उसका पति गाँव के कोटवार के पास गए और फिर शिकायत दर्ज कराई गई। अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 5 में, इस साक्षी ने कुछ विलोपनों के बारे में स्पष्ट किया है और कहा है कि यदि प्राथमिकी में कुछ छूट गया है तो वह उसका कारण नहीं बता सकती। उसने कहा है कि पहले उसने पूरी घटना वहाँ उपस्थित महिलाओं को बताई और पास के बोरवेल से अपने पति के लौटने के बाद उसे भी इस बारे में बताया। इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसके पति से शिकायत की थी कि वह उसे झूठे मामले में फँसा रही है और जब उसने स्वयं उससे पूछा कि क्या उसने कथित कृत्य नहीं किया है, तो वह कुछ नहीं बोला और चुप रहा। अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 6 में, इस साक्षी ने कहा है कि प्राथमिकी और केस डायरी के बयान में "खेत" और "खलिहान" शब्दों के संबंध में कुछ भ्रम हो सकता है, लेकिन उसने बाद में स्पष्ट किया कि उसने घटना के बारे में ग्रामीणों को खलिहान में बताया था न कि खेत में। उसने आगे स्पष्ट किया कि खलिहान पहुँचने के तुरंत बाद उसने वहाँ उपस्थित महिला मजदूरों को पूरी घटना बताई थी। इस साक्षी ने आगे स्पष्ट किया कि जब उसने अपने पति को घटना के बारे में बताया, तब तक उसने अपना भोजन समाप्त नहीं किया था। उसने इस तथ्य से इनकार किया है कि यदि अभियुक्त/अपीलार्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्षमा माँग लेता, तो वह केवल उस पर जुर्माना लगाती और शिकायत दर्ज कराने का सहारा नहीं लेती। अपने बयान के कंडिका 8 में उसने प्राथमिकी और केस डायरी के बयान में कुछ विलोपनों और अंतर्विरोधों के बारे में और स्पष्टीकरण दिया है। उसने कहा है कि घटना घास से भरी 3 फीट चौड़ी मेढ़ पर हुई थी। उसके अनुसार, यद्यपि उसने मदद के लिए शोर मचाया था और प्रतिरोध किया था, लेकिन डर के कारण वह सुध-बुध खो बैठी थी, लेकिन यह उसकी स्वतंत्र इच्छा से नहीं था। उसने इस तथ्य से इनकार किया है कि अपीलार्थी ने उससे प्रेमपूर्वक बात की थी। उसके अनुसार, जब उसने अपीलार्थी से उसे न छूने के लिए कहा था और यह कहा था कि उसका पति पास में ही मौजूद है और वह उसे नहीं छोड़ेगा, तो उसने उससे कहा कि चाहे उसकी जान चली जाए लेकिन वह ऐसा करेगा। कंडिका 12 और 13 में इस साक्षी ने उस तरीके के बारे में बताया है जिससे अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था और इस तथ्य से इनकार किया कि वह इस कृत्य में सहमत पक्षकार थी। इस साक्षी ने इस तथ्य से भी इनकार किया है कि पानी को लेकर उसके और अभियुक्त/अपीलार्थी की पत्नी के बीच पिछले किसी विवाद के कारण उसने उसे झूठे मामले में फँसाया है। उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसके पति ने अभियुक्त/अपीलार्थी की पत्नी को अपशब्द कहे थे। उसने अपने चरित्र के संबंध में अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा दिए गए सभी सुझावों को भी खारिज कर दिया। रामकली बाई (अ.सा.-2) और सती बाई (अ.सा.-8), जिन्हें अभियोक्त्री द्वारा घटना की जानकारी देना बताया गया है, उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अश्वनी कुमार (अ.सा.-3) - अभियोक्त्री के पति ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना की तारीख को वह और उसकी पत्नी मनसाराम (अ.सा.-4) के खेत में काम कर रहे थे और दोपहर लगभग 2-2.30 बजे उसकी पत्नी अपने बच्चे को दूध पिलाने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घर गई थी और जब वह वापस आई, तो शुरू में उसने उसे कुछ नहीं बताया लेकिन खेत में मौजूद महिला मजदूरों से बात कर रही थी और जब उसने अपना भोजन समाप्त कर लिया, तो उसने उसे सूचित किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसके साथ जबरन संभोग किया है। फिर, इस साक्षी के अनुसार वह और अभियोक्त्री कोटवार के पास गए और उसे पूरी घटना की जानकारी दी और फिर शिकायत दर्ज कराई गई। मनसाराम (अ.सा.-4), जिसके खेत में अभियोक्त्री अपने पति के साथ काम कर रही थी, उसने अभियोक्त्री के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि जब उसने और अभियोक्त्री के पति ने अपना भोजन समाप्त कर लिया, तो अभियोक्त्री ने उन्हें अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा किए गए कृत्य के बारे में सूचित किया और फिर शाम को उन्होंने खेत छोड़ दिया। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 3 में पूरी घटना को स्पष्ट किया है और कहा है कि यदि केस डायरी के बयान में कुछ बातें नहीं लिखी हैं, तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। उसके अनुसार, उसने और अभियोक्त्री के पति ने अभियुक्त/अपीलार्थी से क्षमा माँगने को कहा था लेकिन वह उसके लिए सहमत नहीं हुआ। उसने अभियोक्त्री और अभियुक्त/अपीलार्थी की पत्नी के बीच विवाद के सुझाव से इनकार किया है। डॉ. पी.के. बाजपेयी (अ.सा.-5), जिन्होंने दिनांक 8.10.1993 को लगभग शाम 4.45 बजे अभियुक्त/अपीलार्थी का चिकित्सीय परीक्षण किया था और अपना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 दी थी, उन्होंने कहा है कि वह संभोग करने में सक्षम था और उसके 'ग्लैंड पेनिस' पर 'स्मेग्मा' उपस्थित था। डॉ. (श्रीमती) राजश्री देवधर, जिन्होंने अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण किया था और अपना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-5 दी थी, उन्हें उसके शरीर पर कोई चोट नहीं मिली। सहायक उप. निरिक्षक एस.पी. सिंह (अ.सा.-7) विवेचना अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। जे.डी. मानिकपुरी (अ.सा.-9) पटवारी हैं जिन्होंने घटना स्थल का मानचित्र प्रदर्श पी-12 तैयार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया था। बसंती बाई (ब.सा.-1) ने कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी और अभियोक्त्री के पति के बीच कुछ विवाद था। संतराम यादव (ब.सा.-2) ने भी कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी की पत्नी, अभियोक्त्री और उसके पति के बीच कुछ विवाद था। घासीराम (ब.सा.-3) और रमेश कुमार कोठारी (ब.सा.-4) ने भी लगभग संतराम यादव (ब.सा.-2) जैसा ही बयान दिया है।

8. सबसे पहले यह न्यायालय अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के साक्ष्यों पर विचारपूर्वक ध्यान देना चाहेगा। उसके अनुसार, घटना के दिन दोपहर लगभग 3 बजे वह मनसाराम के खेत में जा रही थी और जब वह बीच में पड़ने वाले चुन्नीलाल के खेत के पास पहुँची, तो अभियुक्त/अपीलार्थी, जो वहाँ पहले से छिपा हुआ था, अचानक प्रकट हुआ और उसे अपनी वासना का शिकार बनाया। अभियोक्त्री ने कहा है कि घटना स्थल के पास न तो अभियुक्त/अपीलार्थी का अपना कोई खेत था और न ही उसका स्वयं का। यह दर्शाता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी इस तथ्य से अवगत था कि अभियोक्त्री एक निश्चित समय पर वहाँ से गुजरेगी और वह इसी प्रयास में चुन्नीलाल के खेत में छिपकर उसका इंतजार कर रहा था। उसका साक्ष्य आगे यह दर्शाता है कि घटना के तुरंत बाद, वह मनसाराम के खेत में गई और घटना की जानकारी पहले वहाँ उपस्थित महिला मजदूरों को दी और फिर अपने पति को, जब वह पास के बोरवेल से वापस लौटा। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि शिकायत दर्ज कराने से पहले वह अपने पति के साथ गाँव के कोटवार के पास गई थी जहाँ अभियुक्त/अपीलार्थी पहले से मौजूद था, लेकिन वह लगातार घटना से इनकार करता रहा। इस साक्षी के अनुसार, जब अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे पकड़ा था, तब उसने पास में मौजूद व्यक्तियों का हवाला दिया था और अभियुक्त/अपीलार्थी से उसे न छूने के लिए कहा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

था। अभियोक्त्री का यह कथन यह दर्शाता है कि वह अपने सम्मान और गरिमा को लेकर अत्यंत व्याकुल और चिंतित थी और पास के व्यक्तियों का संदर्भ देकर वह अभियुक्त/अपीलार्थी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। उसका यह पक्ष सहमति का निष्कर्ष नहीं निकालता, जैसा कि बचाव पक्ष द्वारा तर्क देने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यदि वह सहमति देने वाला पक्ष होती, तो उसके पास अपने पति और खेत में काम करने वाली महिला मजदूरों को घटना बताने का कोई कारण नहीं था। जहाँ तक अभियुक्त के लिंग पर 'स्मेग्मा' की उपस्थिति का प्रश्न है, यह एक सुस्थापित विधि है कि संभोग के 24 घंटे बाद इसका परीक्षण अपना महत्व खो देता है। स्वीकार्य रूप से, इस मामले में अभियुक्त का परीक्षण घटना के लगभग 26 घंटे बाद किया गया था और इस प्रकार स्मेग्मा की उपस्थिति अभियोजन के मामले में कोई अंतर पैदा नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कुछ भी सामने नहीं लाया गया है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी को इतने सामाजिक रूप से घृणित अपराध में किस कारण से फँसाएगी, जिसे सामान्य विवेक वाली महिला आमतौर पर नहीं करती है। अभियोक्त्री के कथन को उसके पति (अ.सा.-3) और मनसाराम (अ.सा.-4) से पूर्ण पुष्टि मिलती है। स्वयं अभियोजन के मामले के अनुसार, घटना घनी उगी घास वाली मेढ़ पर हुई थी, इसलिए उसके शरीर पर चोट की अनुपस्थिति का अभियोजन के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे भी, यह एक सुस्थापित विधि है कि यदि अभियोक्त्री का कथन स्वयं विश्वसनीय प्रतीत होता है, तो किसी अन्य स्रोत से उसकी पुष्टि अनिवार्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मामले के तथ्यों की उपरोक्त विस्तृत विवेचना को देखते हुए, यह न्यायालय चुनौतीपूर्ण निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाता है। अधिनस्थ

न्यायालय ने मामले के प्रत्येक पहलू पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया है और ऐसा होने के कारण, उसके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। इसे तदनुसार खारिज किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी जमानत पर है। उसके बंध पत्र उन्मोचित किए जाते हैं। उसे बिना किसी विलंब के जेल स्थानांतरित किया जाए।

हस्ताक्षरित/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ritu Sarna Gandhi (Adv.)